न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 811/ 2019

1 गुरचरण सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिलाश्रीगंगानगर

2 जसकरण सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुखजीत कौर पुत्री गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 02/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 14/15 प.न. 59/105 मु.न. 29 कि.न. 24, 25 में 0.506 है.नहरी, प.न. 60/105 मु.न. 30 कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है.नहरी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 2, 8, 9 में 0.759 हे. नहरी, बारानी, प.न. 59/106 मु.न. 44 कि.न. 4, 5 में 0.506 है.नहरी, प.न. 59/107 मु.न. 45 कि.न. 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 में 0.506 हे.नहरी मय खाला कुल खाता 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 केनाम से दर्ज कागजात माल है। चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदीसम्वत 2071–2074 खाता संख्या 16/13 प.न. 60/105 मु.न. 30 कि.न. 18/2, 23 में 0.392 है. बारानी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 4 ता 5 में 0.759 है. बारानी मय खाला, प.न. 59/107 मु.न. 45 कि.न. 6 ता 9 में 1.012 है. बारानी मय खाला, कुल खाता 2.163 है. बारानी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 केनाम 0.316 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबद संलग्नवाद पत्र है।चक 28 के एस डी जमाबदीसमवत 2069–2072 खातासंख्या 18/15 प.न. 58/109 मु.न. 9 कि.न. 3, 4 में 0.493 हे. बारानी कुल खाता0.493 हे.बारानी आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.246 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के पिता प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम दर्ज वादाधीन दावाकी मदसंख्या 2 ता 4 में दर्ज आराजी वादीगण के पिता को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक हिस्सा बनता है एवं वादाधीन आराजी में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के नाते कानूनन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

हक हिस्सा रखते है जो कि वादीगण एव प्रतिवादीगणके मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 के एस डी 'बी' के खाता संख्या 14/15 में 3.036 हे. आराजी मे से ब.हि.ब. 2.277 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की आराजी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक में ब.हि.ब. मौखिक त्याग दी है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी को वादीगण ब.हि.ब. काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक हिस्साएव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड मेंवादीगण के नाम से मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज नही होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्सा में आयी आराजी से बेदखल किये जाने का भय बना रहता है जिस कारण वादीगण एव प्रतिवादीगण के बीच लड़ाई झगड़ा होता है एव पारिवारिक शांति भंग होती है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त मे प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 14/15 प.न. 59/105 मु.न. 29 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी, प.न. 60/105 मु.न. 30 कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है.नहरी, प.न. 60/106 मु. न. 43 कि.न. 2, 8, 9 में 0.759 हे. नहरी, बारानी, प.न. 59/106 मु.न. 44 कि.न. 4, 5 में 0.506 है.नहरी, प.न. 59/107 मु.न. 45 कि.न. 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 में 0. 506 हे.नहरी मय खाला कुल खाता 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी मे से वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. 2.277 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 14/15 प.न. 59/105 मु.न. 29 कि.न. 24, 25 में 0.506 है.नहरी, प.न. 60/105 मु.न. 30 कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है.नहरी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 2, 8, 9 में 0.759 है. नहरी, बारानी, प.न. 59/106 मु.न. 44 कि.न. 4, 5 में 0.506 है.नहरी, प.न. 59/107 मु.न. 45 कि.न. 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 में 0.506 हे.नहरी मय खाला कुल खाता 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी मे से वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. 2.277 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 811 / 2019

1 गुरचरण सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिलाश्रीगंगानगर

2 जसकरण सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुखजीत कौर पुत्री गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 14 / 15 प.न. 59 / 105 मु.न. 29 कि.न. 24, 25 में 0.506 है.नहरी, प.न. 60 / 105 मु.न. 30 कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है.नहरी, प.न. 60 / 106 मु.न. 43 कि.न. 2, 8, 9 में 0.759 हे. नहरी, बारानी, प.न. 59 / 106 मु.न. 44 कि.न. 4, 5 में 0.506 है.नहरी, प.न. 59 / 107 मु.न. 45 कि.न. 12 / 1, 13 / 1, 14 / 1, 15 / 1 में 0.506 हे.नहरी मय खाला कुल खाता 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी मे से वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. 2.277 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02/12/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:30:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: